21वाँ वार्षिक वैश्विक निवेशक सम्मेलन, 2025

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने सम्मेलन में भारत की आर्थिक क्षमताओं और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के दृष्टिकोण पर बल दिया।

सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ

- **आत्मनिर्भर भारत और व्यापार सुगमता:** मेक इन इंडिया के अंतर्गत निवेश आकर्षण; ड्रोन, सेमीकंडक्टर और CRGO स्टील के स्थानीय उत्पादन पर ध्यान केंद्रण। जीएसटी 2.0 कराधान को **सरल बनाता है, जबकि कम व्यक्तिगत कर और सरल मौद्रिक नीति व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं एवं मुद्रास्फीति को 1.5% पर बनाए रखे हुए हैं।**
- **स्थायित्व:** नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा-कुशल उत्पादों तथा **ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो इफेक्ट (ZED)** निर्माण पर बल, ताकि उच्च गुणवत्ता एवं पर्यावरण-अनुकूल वस्तुएँ तैयार की जा सकें।
- **भारत की सॉवरेन रेटिंग:** स्थिर दृष्टिकोण के साथ BBB- से BBB तक उन्नत और प्रभावी विकास तथा मज़बूत बाह्य वित्तीय स्थिरता द्वारा सहयोग।
- **व्यापार एवं साझेदारी:** भारत ने मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं तथा **यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और EFTA के साथ वार्त्ता जारी है।**

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये चुनौतियाँ	आगे की राह
बढ़ता **वैश्विक संरक्षणवाद** एवं भू-राजनीतिक संघर्ष।	**बहु-संरेखित व्यापार रणनीतियों का** विकास करना, तेल पर निर्भरता कम करना, ऊर्जा में विविधता लाना तथा नवीकरणीय ऊर्जा के अभिग्रहण में तेज़ी लाना।
धातुओं, तेलों आदि की बढ़ती कीमतों के कारण आयातित **मुद्रास्फीति 1.3% (जून 2024) से बढ़कर 31.1% (फरवरी 2025) हो गई।**	वित्तीय मानदंडों को मज़बूत करना, घरेलू पूंजी बाज़ारों को सुदृढ़ करना, **रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना** और मौद्रिक संप्रभुता का प्रबंधन करना।
लाल सागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संघर्षों तथा संरक्षणवादी व्यापार नीतियों के कारण परिवहन लागत बढ़ गई है और आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है।	**जलवायु-अनुकूल कृषि, आघातसह्य बीजों, शीत भंडारगृहों की श्रृंखलाओं** में निवेश करना तथा पारदर्शी खाद्य भंडार का अनुरक्षण करना।
डेटा संरक्षण, IPR, टैरिफ पर विवादों के कारण **भारत-यूरोपीय संघ FTA और भारत-कनाडा व्यापार वार्त्ता** अवरुद्ध हुई है।	**तकनीक (AI, 5G) में स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास** पर ध्यान केंद्रित करना, डिजिटल बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना, कौशल विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को प्रोत्साहित करना।

भारत का संघीय ढाँचा और जम्मू-कश्मीर राज्य

सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने **केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर के लिये राज्य का दर्जा बहाल करने पर विस्तृत जवाब मांगा है** (ज़हूर अहमद भट बनाम जम्मू-कश्मीर संघशासित प्रदेश वाद)।

- **जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (2019)** द्वारा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को संघशासित प्रदेश बनाया गया हालाँकि **वर्ष 2023 में SC** ने इसकी **संवैधानिक वैधता का अनुरक्षण किया** परंतु स्पष्ट किया था कि भविष्य में राज्य का दर्जा बहाल करना अनिवार्य है।
  - राज्य का **दर्जा बहाल करने में विलंब** संघवाद (जो संविधान की **मूल संरचना** का हिस्सा है) की भावना को कमज़ोर करता है, निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं हालाँकि समर्थकों का मत है कि **सुरक्षा कारणों से केंद्र का नियंत्रण आवश्यक** है।
- **राज्य का दर्जा बहाल करने के लिये** जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को निरस्त करना होगा, अतः संसद में नया विधेयक पारित करना होगा।
  - **संघशासित प्रदेश जो बाद में राज्य बने;** हिमाचल प्रदेश (1971), मणिपुर एवं त्रिपुरा (1972), अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम (1987), गोवा (1987)।

भारत में राज्यों का निर्माण

- **प्रवेश:** एक नया राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत संगठित राजनीतिक इकाई होने पर भारत में शामिल किया जा सकता है (उदाहरण: 1947 में जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय – Instrument of Accession)।

⌘ **स्थापना:** अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत अधिगृहीत क्षेत्र को राज्य बनाया जा सकता है (उदाहरण: गोवा और सिक्किम)।

⌘ **निर्माण/पुनर्गठन (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3):** संसद सीमाओं में परिवर्तन/क्षेत्रों का विलय कर नए राज्य बना सकती है (उदाहरण: तेलंगाना का निर्माण)।

⌘ **सीमा निर्धारण:** हालाँकि केंद्र किसी राज्य के क्षेत्र को कम कर सकता है, किंतु उसे केंद्रशासित प्रदेश में बदलने का उल्लेख संविधान में नहीं है।

❖ फिर भी, कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी रही हैं जिन्होंने केंद्रशासित प्रदेशों के निर्माण की संभावना को जन्म दिया।

केंद्रशासित प्रदेशों के निर्माण के संबंध में विचारणीय विषय

- **संवैधानिक ढाँचा**
  - **अनुच्छेद 1:** भारत "राज्यों का संघ" है (केंद्रशासित प्रदेश भी इसमें शामिल हैं)।
  - **सातवें संविधान संशोधन अधिनियम एवं राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956** ने UTs की अवधारणा को संस्थागत किया।
- **अन्य विचारणीय विषय**
  - **राजनीतिक व प्रशासनिक:** संवेदनशील क्षेत्रों में प्रत्यक्ष शासन (दिल्ली, चंडीगढ़)।
  - **सांस्कृतिक:** विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण (पुडुचेरी)।
  - **रणनीतिक:** सामरिक महत्त्व वाले क्षेत्र (अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप)।
  - **विकासात्मक:** पिछड़े व जनजातीय क्षेत्रों का विकास, राज्य का दर्जा देने से पूर्व (मिज़ोरम, त्रिपुरा)।

भारत में कपास की खेती

सरकार ने **कपास पर 11% आयात शुल्क छूट की अवधि बढ़ाते हुए 2025–26 के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि** की है और घरेलू कपास उत्पादन में 15 वर्ष के निचले स्तर के बीच खरीद प्रयासों का विस्तार किया है।

फैक्टशीट

- **"श्वेत स्वर्ण" (White Gold)** के नाम से प्रसिद्ध, एक प्रमुख वाणिज्यिक फसल, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 1/4 योगदान देती है।
- भारत **विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता (चीन के बाद)**
- भारत **सर्वाधिक क्षेत्रफल में इसकी खेती** करता है, लेकिन **उत्पादकता के मामले में 36वें स्थान पर**।
- कपास की लगभग दो-तिहाई (67%) कृषि वर्षा-आधारित है, जबकि एक-तिहाई (33%) भाग सिंचित है।
- सूती वस्त्र उद्योग कृषि के बाद **देश का दूसरा सबसे बड़ा रोज़गार प्रदाता** है।
- भारत में कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता के समय से चली आ रही है

कपास उद्योग को समर्थन देने की पहल

- भारतीय कपास निगम (CCI)
- कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन (2000)
- **बीटी कॉटन (2002)** - भारत की पहली GM फसल
- NFSM (2014-15) के अंतर्गत कपास विकास कार्यक्रम
- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (2020)
- कपास संवर्द्धन और उपभोग समिति (COCPC)

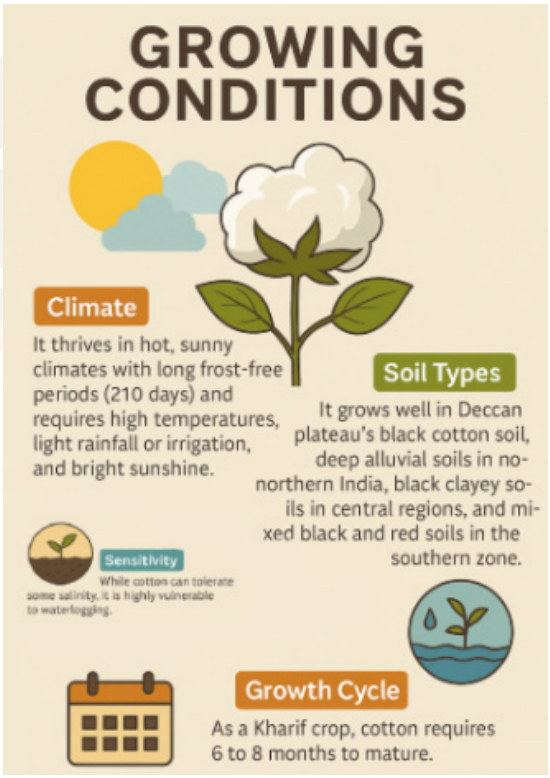

चुनौतियाँ	आगे की राह
पिंक बॉलवर्म (PBW), कीट एवं फफूँद संक्रमण से उत्पादन में कमी	**समेकित कीट प्रबंधन (IPM),** कीट-प्रतिरोधी जीएम हाइब्रिड किस्मों को अपनाना एवं कीटनाशकों पर निर्भरता घटाना
परंपरागत कृषि पद्धतियों के कारण **कम उत्पादकता** (480 किग्रा./हेक्टेयर बनाम विश्व औसत 800 किग्रा./हेक्टेयर)	**उच्च घनत्व रोपण प्रणाली (HDPS)** को बढ़ावा देना एवं कपास उत्पादकता हेतु 5-वर्षीय मिशन लागू करना
बढ़ती लागत और सस्ती आयातित कपास से छोटे किसानों की खेती अलाभकारी	**कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs), भारतीय कपास निगम (CCI) और Cott-Ally ऐप** जैसी डिजिटल सेवाओं से सहयोग प्रदान करना
बाज़ार तक सीमित पहुँच एवं अस्थिर वैश्विक बाज़ार से लाभप्रदता प्रभावित	**'कस्तूरी कॉटन' ब्रांडिंग को क्यूआर-कोड ट्रेसबिलिटी** के साथ विस्तार देना; TUFS एवं MITRA योजनाओं से ओटाई व बुनाई इकाइयों का आधुनिकीकरण

विदेशी पूंजी प्रवाह और भारत का भुगतान संतुलन (BOP)

भारत, जो 2021–24 के दौरान **8.2% जीडीपी वृद्धि** के साथ विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था रहा है, कम निवल विदेशी पूंजी प्रवाह (net foreign capital inflows) की चुनौती का सामना कर रहा है। यह उसके **भुगतान संतुलन (BoP)** में अंतर को दर्शाता है।

भुगतान संतुलन (BOP)

⌘ यह एक आर्थिक सूचक है, जो भारत और विश्व के बीच होने वाले सभी वित्तीय लेन-देन का विवरण प्रस्तुत करता है।

- ❖ **धन के आवक (+ve) और जावक (–ve) को ट्रैक करता** है, जिससे देश के वैश्विक आर्थिक लेन-देनों का विवरण प्राप्त होता है।
- ❖ यह रुपये और विदेशी मुद्राओं की मांग को दर्शाता है, जिससे विनिमय दर और अर्थव्यवस्था की स्थिरता प्रभावित होती है।

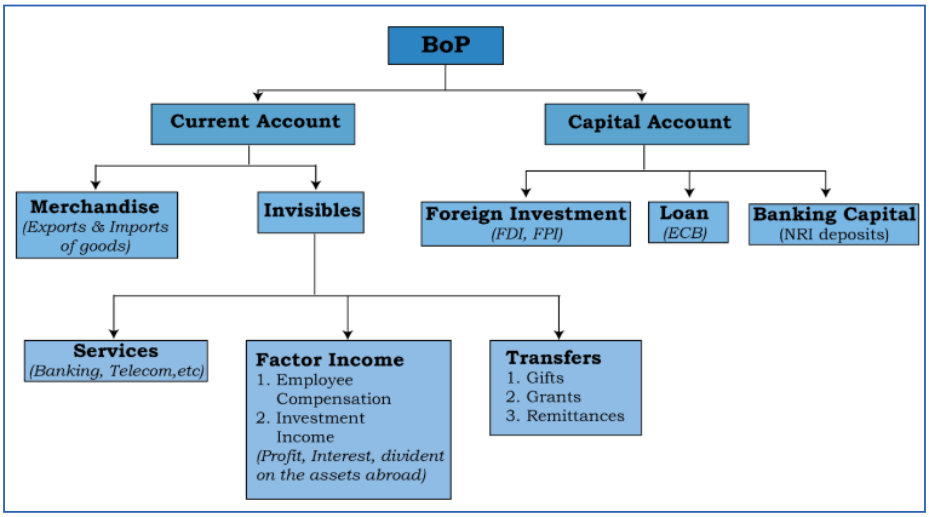

भारत के भुगतान संतुलन (BOP) की वर्तमान स्थिति

⌘ **व्यापार घाटा एवं अदृश्य खाता (Invisibles Account):** वर्ष 2024-25 में भारत का व्यापार घाटा **287.2 अरब अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया। हालाँकि, सेवाओं के निर्यात और प्रेषण (remittances) से प्राप्त अधिशेष ने चालू खाता घाटे (CAD) को संतुलित करने में सहायता की।

⌘ **विकास एवं निवेश विरोधाभास (Growth & Investment Paradox):** भारत को विदेशी निवेश आकर्षित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वर्ष 2023-24 में **विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)** 25.3 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, परंतु वर्ष 2024-25 में **14.6 अरब अमेरिकी डॉलर** का निवल बहिर्वाह दर्ज किया गया।

⌘ **निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी बहिर्वाह: निजी इक्विटी (PE)** और **उद्यम पूंजी (VC)** निवेशों से बहिर्वाह में वृद्धि, जो नई पूंजी सृजन के बजाय, लाभ-वसूली और परिपक्व निवेश को दर्शाती है।

- ❖ **कुल पूंजी बहिर्वाह वर्ष 2023 में 29 अरब अमेरिकी डॉलर** तथा **2024 में 33 अरब अमेरिकी डॉलर** रहा।

संरक्षित क्षेत्र

एक हालिया अध्ययन में सामुदायिक आजीविका के साथ संरक्षण को संतुलित करने में **संरक्षित क्षेत्रों** की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

⌘ **भारत में 1,000 से अधिक संरक्षित क्षेत्र हैं**, जिनमें **107 राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं**, ये देश के 5.32% क्षेत्र को कवर करते हैं।

संरक्षित क्षेत्र	प्रबंधन और गतिविधियाँ
राष्ट्रीय उद्यान (National Parks)	**वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972** के तहत संरक्षित; अनुसंधान एवं नियंत्रित पर्यटन को छोड़कर **किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं; NWLB** और **NTCA की निगरानी** में राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित।
वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuaries)	यदि नुकसानदायक न हो तो चराई और वनोपज संग्रहण की अनुमति; राज्य वन विभाग द्वारा प्रबंधित **(राष्ट्रीय उद्यानों की तुलना में अधिक लचीलापन)।**
संरक्षण आरक्षिति (Conservation Reserves)	**इसका उद्देश्य महत्त्वपूर्ण पर्यावासों को सुरक्षित रखना** एवं नियंत्रित मानवीय गतिविधियों के साथ वन्यजीवों की रक्षा करना है; **स्थानीय समुदाय की भागीदारी के साथ राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित।**
सामुदायिक आरक्षिति (Community Reserves)	इसे निजी या सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि पर स्थापित किया जा सकता है। स्थानीय समुदाय संरक्षण में भाग लेते हैं; पर्यटन, कृषि और गौण उत्पाद के निष्कर्षण की अनुमति; **स्थानीय निवेश के साथ राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित।**

वर्ष 2025 में ला नीना की वापसी पर WMO का पूर्वानुमान

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने अनुमान व्यक्त किया है कि सितंबर से नवंबर 2025 के बीच ला नीना (La Niña) की स्थिति पुनः विकसित हो सकती है।

- **ला नीना-** यह एक जलवायु परिघटना है, जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य एवं पूर्वी भाग की सतही जलराशि **असामान्य रूप से ठंडी** हो जाती है।
- इसका कारण प्रबल व्यापारिक पवनें (Trade Winds) होती हैं।
- यह **एल नीनो (El Niño)** के विपरीत है, जिसमें इसी क्षेत्र का समुद्री सतह तापमान **असामान्य रूप से गर्म** हो जाता है।
- **भारत के मानसून पर प्रभाव:** दक्षिण-पश्चिम मानसूनी वर्षा में वृद्धि, जिससे खरीफ फसलों को लाभ एवं नदियों, झीलों तथा भूजल पुनर्भरण में सहायक।
  - **असम और बिहार** जैसे क्षेत्रों में बाढ़ की आशंका बढ़ सकती है। **जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश** जैसे उत्तरी राज्यों में सामान्य से अधिक प्रबल शीत ऋतु की संभावना।

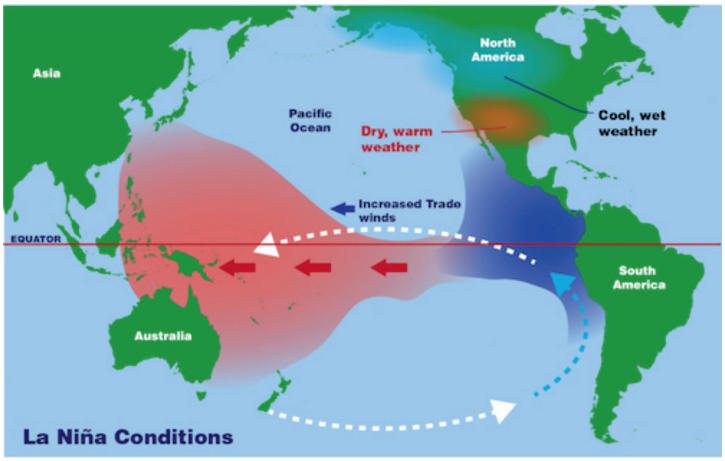

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)

- **स्थिति:** WMO संयुक्त राष्ट्र की एक **विशेषीकृत एजेंसी** है, जिसे वर्ष 1951 में मौसम, जलवायु, जलविज्ञान एवं संबंधित भू-भौतिकीय विज्ञानों के लिये नामित किया गया।
- **उत्पत्ति:** इसका उद्भव **अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन (IMO)** से हुआ, जिसकी स्थापना वर्ष **1873** में वैश्विक मौसम प्रेक्षणों को मानकीकृत करने हेतु की गई थी।
- **परिवर्तन:** वर्ष 1950 में IMO को परिवर्तित कर **विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO)** बनाया गया।